जिला शिमला सैनिक कल्याण के सैनिक विश्राम गृह मत्याना लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2011 से 3/2015

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई का सत्यापन करने पर पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई :—

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1976 से 3/1980

1 पैरा 6 अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1980 से 3/1986

1 पैरा 7(ए) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1989

1 पैरा 7(2) अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1990

1 पैरा 5(ख) अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

1 पैरा 8 अनिर्णीत

2 पैरा 10 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1997

1 पैरा 13 अनिर्णीत

2 पैरा 14 अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/2001

1 पैरा 6 अनिर्णीत

2 पैरा 8 अनिर्णीत

3 पैरा 10(क से ख) अनिर्णीत

4 पैरा 11 अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1 पैरा 6 अनिर्णीत

2 पैरा 7 अनिर्णीत

3	पैरा 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 9(क) से (ख)	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1	पैरा 6	अनिर्णीत	
2	पैरा 7	अनिर्णीत	
3	पैरा 8	अनिर्णीत	

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की ₹1200 प्राप्त होने पर)
2	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	

2 वर्तमान अंकेक्षण

अवधि 4/2011 से 3/2015 का अंकेक्षण श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.2.2016 से 2.2.2016 के दौरान किया गया। अंकेक्षण अवधि की आय तथा व्यय की विस्तृत जांच शत प्रतिशत की गई। वर्तमान अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना पर आधारित है। संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गइ गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने बारे स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 4/2011 से 3/2015 के लेखों का अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹2000 बनता है। अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्याः 5, दिनांक 2.2.2016 द्वारा उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण शिमला को उपरोक्त राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित करने का आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण अवधि 2011–12 से 2014–15 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त आय	अनुदान	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2011–12	7,32,576	–	–	35,015	7,67,591	–	7,67,591

2012—13	7,67,591	—	—	1,04,133	8,71,724	—	8,71,724
2013—14	8,71,724	—	—	83,294	9,55,018	20	9,54,998
2014—15	9,54,998	—	1,00,000	61,002	11,16,000	60	11,15,940

1) दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष 11,15,940

2) अन्तिम शेष का विवरण

(i) बैंक बचत खाता में जमा राशि खाता सं0 31297
(इण्डियन ओवसिज बैंक) 1,03,469

(ii) सावधि जमा में निवेशित राशि 10,12,471

योग 11,15,940 11,15,940

5 सावधि निवेश

(क) दिनांक 31.3.2015 को ₹10,12,471 सावधि जमा के रूप में निवेशित पाई गई, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट—"क"** पर संलग्न है। अतः निवेशित राशियों को परिपक्वता तिथि को आहरित/पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ब्याज के रूप में प्राप्त ₹1,03,957 की पुष्टि न हो पाना

सावधि खाता में जमा राशियों पर अर्जित/प्राप्त ब्याज की जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न वर्णित एफ0डी0आर0 की छाया प्रतियां अभिलेख में नहीं रखी गई और न ही सावधि खाता में निवेशित राशियों का स्वतः पूर्ण रजिस्टर/अभिलेख ही तैयार किया गया। उपरोक्त के कारण इस फण्ड डी0आर के अन्तर्गत प्राप्त हुए ब्याज की पड़ताल की जानी सम्भव नहीं हो पाई। अतः आवश्यक अभिलेख तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त हुए ब्याज के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करके ब्याज की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

क्र0 सं0	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक	सावधि खाता संख्या	निवेशित राशि	प्राप्त ब्याज
1	पृष्ठ—35, 18.4.2011	183005	200000	34897
2	पृष्ठ—41, 18.5.2012	183385	170657	21868
3	पृष्ठ—41, 18.5.2012	189561	287797	36878
4	पृष्ठ—42, 25.7.2012	779596	71087	10314
			योग	**103957**

(ग) संस्था द्वारा सावधि खातों में समय—समय पर निवेश किया जा रहा है, परन्तु इससे सम्बन्धित सावधि निवेश रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है। अतः संस्था द्वारा किए गए निवेश व सावधि खातों में अर्जित ब्याज की स्थिति बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में

अपेक्षित अभिलेख अविलम्ब तैयार किया जाना सुनिश्चित किए जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6 अनुदान की ₹1,00,000 का उपयोग न करने बारे

(क) अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया कि संस्था को निदेशक, सैनिक कल्याण हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से ₹1,00,000 विश्राम गृह, मत्याना की मुरम्मत हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त हुए थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	पत्र संख्या जिसके द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त हुई	दिनांक	राशि	उद्देश्य
1	No. 7-29/Gen/Drafts/2011/SWD	20.3.2013	50,000	विश्राम गृह की मुरम्मत हेतु
2	No. 7-29/Gen/Drafts/2011/SWD-2016	4.2.2015	50,000	विश्राम गृह की मुरम्मत हेतु
		योग	**1,00,000**	

चर्चा में लेखा परीक्षा को सूचित किया गया है कि विश्राम गृह, मत्याना को 11/2007 से बन्द रखा गया है क्योंकि विश्राम गृह भवन असुरक्षित होने के कारण ठहरने के लिए उपयुक्त नहीं है, परन्तु फिर भी अनुदान की ₹1,00,000 जोकि उक्त विश्राम गृह की मुरम्मत के लिए संस्था को प्राप्त हुए थे का उपयोग दिनांक 31.3.2015 तक नहीं किया था जोकि उचित नहीं है। इस प्रकार अनुदान का उपयोग न करने से विश्राम गृह, मत्याना की मुरम्मत नहीं की गई जिसके कारण विश्राम गृह को ठीक करके उससे प्राप्त होने वाली आय से भी संस्था को वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि का उपयोग समय पर न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और उक्त राशि का उचोग अविलम्ब विश्राम गृह की मुरम्मत के लिए किया जाए ताकि विश्राम गृह को ठीक करके उसे ठहरने योग्य बनाया जाए तथा तत्पश्चात आय भी अर्जित की जा सके।

(ख) अनुदान रजिस्टर को तैयार न करना

संस्था द्वारा उक्त निधि के संचालन हेतु अनुदान की प्राप्ति समय–समय पर की जा रही है, परन्तु इस सन्दर्भ में आवश्यक अभिलेख/रजिस्टर यथा किस संस्था से अनुदान प्राप्त हुआ, कितनी राशि प्राप्त हुई, प्राप्ति विवरण किस उद्देश्य हेतु प्राप्त हुई, कितनी राशि व्यय कर ली गई तथा कितनी राशि शेष है, तैयार नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः वांछित अभिलेख/रजिस्टर अब तैयार किया जाए ताकि समय–समय पर प्राप्त हुई राशि की वस्तुस्थिति प्रथम दृष्टया स्वतः स्पष्ट हो सके।

7 लघु आपत्ति विवरणिका :—

इस प्रकार की कोई भी विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

8 निष्कर्ष :—

लेखों में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—09

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल)एच(2)सी(15)(XIV)48 / 80—4184—4185 दिनांक 23.07.2016 , शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण शिमला जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रस्तुत करे।
2. निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, हमीरपुर (हि0प्र0)

हस्ता / —

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.